न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः-श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः- 25/2020

प्रार्थीया बनाम अप्रार्थी

मीरा पत्नी श्री रूपाराम,
जाति मेघवाल, निवासी धोलियानगर,
तहसील, तिंवरी, जिला जोधपुर।

तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित-

प्रार्थीया की ओर से :-अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।

अप्रार्थी की ओर से :- सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:निर्णयः-

दिनांक 2-9-2020

प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः- प्रार्थीया व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 199 रकबा 126 बीघा 10 बिस्वा मौजा ग्राम धोलियानगर, तहसील तिंवरी में आई हुई हैं। जिसके राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम मीरादेवी पत्नी रूपाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। मेरा वास्तविक नाम मीरा पत्नी रूपाराम है तथा मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में मेरा नाम मीरा पत्नी रूपाराम दर्ज हैं। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम मीरादेवी पत्नी रूपाराम गलत दर्ज कर दिया गया हैं, जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहती हूं। जो इन दस्तावेजों से बखूबी मीरा पत्नी रूपाराम प्रमाणित होता हैं। राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाना चाहती हूँ। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 126 बीघा 10 बिस्वा मौजा ग्राम धोलियानगर तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम मीरादेवी पत्नी रूपाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम मीरा पत्नी रूपाराम दर्ज किया

सहायक कमिश्नर, ओसियां

जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में मीरादेवी दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में मीरा दर्ज है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 126 बीघा 10 बिस्वा मौजा ग्राम धोलियानगर तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम मीरादेवी के स्थान पर मीरा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 9-9-2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner